उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या-05/2019/652/94-स्टा०नि०-2-2019-700(55)/19

लखनऊ : दिनांक 11 सितम्बर, 2019

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की स्थापना के लिए जिला कुशीनगर के परिनिश्चित क्षेत्र में कुल 589.35 एकड़ भूमि के अन्तरण हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पक्ष में नागरिक उड्डयन विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निष्पादित हस्तान्तरण विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करते हैं।

2. इस अधिसूचना के अधीन छूट तभी उपलब्ध होगी, यदि उक्त जिला का जिला मजिस्ट्रेट लिखत पर इस तथ्य की पुष्टि करने के प्रयोजनार्थ साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेगा कि हस्तान्तरण विलेख ऊपर उल्लिखित प्रयोजनार्थ निष्पादित किया जा रहा है।

आज्ञा से,

वीना कुमारी

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-05/2019/652/94-स्टा०नि०-2-2019-700(55)/19, दिनांक 11 सितम्बर, 2019

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी, अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 11-09-2019 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की सौ प्रतियॉ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(लालू)
संयुक्त सचिव।

संख्या-05/2019/652/94-स्टा०नि०-2-2019-700(55)/19, दिनांक 11 सितम्बर, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(2) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(6) आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश प्रयागराज/महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(7) जिलाधिकारी, कुशीनगर।
(8) उपायुक्त स्टाम्प/ उप महानिरीक्षक निबंधन, गोरखपुर।
(9) सहायक आयुक्त स्टाम्प/सहायक महानिरीक्षक निबंधन, जनपद-कुशीनगर।
(10) नागरिक उड्डयन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(11) विधायी अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन।
(12) भाषा अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन।
(13) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लालू)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

UTTAR PRADESH SHASAN

STAMP EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-2

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 05/2019/652/94-S.R.-2-2019-700(55)/19, Dated, 11 September, 2019.

Notification

Order

No.05/2019/652/94-S.R.-2-2019-700(55)/19

Lucknow, Dated, 11 September, 2019

In exercise of the powers under clause (a) of sub section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to remit with effect from the date of publication of this notification, stamp duty chargeable in conveyance deed executed by the Civil Aviation Department of Government of Uttar Pradesh in favour of the Airport Authority of India, for transfer of total 589.35 acre land in defined area of District Kushinagar to establish Kushinagar International Airport.

2- The remit under this notification shall be available if District Magistrate of the said District shall sign such instrument as witness for the purpose of confirming the fact that the conveyance deed is being executed for the purposes above mentioned.

By order,

Veena Kumari
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।